

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ.28()परावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./स्था.पद./पार्ट/2018/3411

जयपुर,दिनांक: 26.7.18

:: आदेश ::


विभागीय आदेश क्रमांक 2441 दिनांक 30.05.2018 द्वारा श्री मुन्ना मोहम्मद, पंचायत प्रसार अधिकारी का पंचायत समिति सुवाणा (भीलवाडा) से जिला परिषद भीलवाडा में पंचायत प्रसार अधिकारी के रिक्त पद पर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया गया।

उक्त आदेश के विरुद्ध श्री मुन्ना मोहम्मद ने माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 1562/2018 दायर की। जिसमें माननीय न्यायालय के पारित निर्णय दिनांक 09.07.2018 द्वारा अपीलार्थी के माह मई,2019 में अधिवार्षिकी आयु उपरान्त सेवानिवृति नियत होने, तथा सेवानिवृति में मात्र 11 माह का समय शेष रहने के कारण, इनका स्थानान्तरण अपास्त कर दिया है।

अतः माननीय न्यायालय निर्णय की पालना में विभागीय आदेश क्रमांक 2441 दिनांक 30.05.2018 द्वारा श्री मुन्ना मोहम्मद, पंचायत प्रसार अधिकारी का पंचायत समिति सुवाणा (भीलवाडा) से जिला परिषद भीलवाडा किया गया स्थानान्तरण/पदस्थापन एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,



(राजेन्द्र शंखर मक्कड़)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
4. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाडा
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सुवाणा (भीलवाडा)
6. श्री मुन्ना मोहम्मद, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति सुवाणा (भीलवाडा)
7. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
8. आदेश पत्रावली



अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव